मामराज बनाम श्रीमती मानी देवी मु.नं. 01/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.4.25	पत्रावली पेश। गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.4.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर C.A. [signature]	
4.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ~~[illegible]~~ खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 01/2021

1 मामराज पुत्र श्री सुन्दर जाति गुर्जर निवासी ढाणी पंथ की तन देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती मालीदेवी पुत्री स्व. सुवालाल
2 रामकरण मृत
2/1 श्रीमती कोयली देवी पत्नी स्व. रामकरण (नाम हजफ दिनांक 01.07.24)
2/2 विनोद पुत्र स्व. रामकरण
2/3 पप्पुराम पुत्र स्व. रामकरण
2/4 आशा देवी पुत्री स्व. रामकरण
2/5 हंसा देवी पुत्री स्व. रामकरण
2/6 संतोष देवी पुत्री स्व. रामकरण
समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी पंथ की तन देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 उप पंजीयक महोदय अजीतगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 उप तहसीलदार महोदय अजीतगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.)
श्रीमाधोपुर जिला सीकर प्रार्थना पत्र उनवानी
श्रीमती मालीदेवी बनाम मामराज आदि प्रार्थना
पत्र संख्या 43/2019 दिनांकित 24.12.2020
अपील अ.धारा 225 राज.का. अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 43/2019में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट मामराज ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के यहा एक दावा इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा दिनांक 03.07.2007 को दावा उनवानी मामराज बनाम रामकरण आदि दावा संख्या 119/2007 प्रस्तुत किया था उक्त दावा प्रस्तुत होने के बाद रेस्पोडेन्टान की सम्यक रूप से तामील हो जाने के बाद उनकी और से कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 16.07.2009 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व बाद में उक्त दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) श्रीमाधोपुर में न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया जहां उक्त दावा का नम्बर 698/2017 दर्ज किया गया व इसके पश्चात वादी/अपीलान्ट की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 30.08.2018 को वादी का दावा डिकी कर दिया गया। उक्त दावे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मालीदेवी की विधिवत तामील होने के बावजूद भी उसने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर के यहां एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 09 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी एकपक्षीय डिकी व निर्णय दिनांक 30.08.2018 को निरस्त किए जाने हेतु दिनांक 26.08.2019 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र वादी/अपीलान्ट को दावा डिकी होने के करीब एक साल बाद प्रस्तुत किया गया और उक्त प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया था तथा मियाद के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अ.धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया जिस पर विचारण

भू.प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर ने कोई निर्णय दिये बिना ही विरूद्ध कानून अपने निर्णय दिनांक 24.12.2020 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार करते हुये वादी/अपीलान्ट का दावा उनवानी मामराज बनाम रामकरण आदि मु.नं. 119/2007 (बी टी. नम्बर 698/2017) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2018 को अपास्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा उनवानी मामराज बनाम रामकरण आदि के सम्मन की सम्यक तामील होने के बावजूद व रेस्पोडेन्टान की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 16.07.2009 को एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश विधि सम्मत पारित किया गया था जो कतई निरस्तनीय ने होते हुये भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। रामकरण जो माली के परिवार का सदस्य है ने उक्त माली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का सम्मन विधिवत प्राप्त किया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सम्मन मिलने के रोज से ही थी परन्तु उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई जिस पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश विधि सम्मत पारित किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अन्दाज करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आधारहीन आवेदन को स्वीकार करके वादी/अपीलान्ट के दावे में पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने की आज्ञा देने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे में दिनांक 16.07.2009 को एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया गया व दिनांक 30.08.2018 को विचारण न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का दावा डिक्री किया था तथा अवधि भीतर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से उक्त दावे में की गई इकतरफा कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो आवेदन धारा 5 कानून मियाद प्रस्तुत किया गया उस पर विचारण न्यायालय ने कोई विवेचना नही की और न ही उक्त आवेदन धारा 5 कानून मियाद को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने तक का उल्लेख नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

किया और इस प्रकार कानूनन सर्वप्रथम विचारण न्यायालय को धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने के पश्चात ही व उसे स्वीकार करने की स्थिति में ही आगे कोई निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पर कोई निर्णय दिये बिना ही अपना निर्णय जैर अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया है जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्रीमती मालीदेवी का विवादग्रस्त आराजियात से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है बल्कि उक्त आराजियात के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की माता श्रीमती मूली ने एक वसीयतनामा दिनांक 19.08.1995 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में लिख दिया था व मूली की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का उक्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार तथा कब्जा काश्त नहीं रहा फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने मनगढंत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होते हुये भी विचारण न्यायालय ने विरूद्ध कानून रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का आवेदन स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत तामील हो जाने के बाद व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अनुपस्थित रहने के बाद की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मियाद बाहर आवेदन पर स्वीकार करने में कानूनी गलती की है अतः आज्ञा जेर अपील निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021(1) पेज 130 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 के आवेदन पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत सम्मनों का विस्तृत विवेचन कर तामील पूर्ण नहीं मानी जाने पर विचाराधीन निर्णय से आदेश 09 नियम 13 का आवेदन स्वीकार किया है। धारा 5 के संदर्भ में विचारण न्यायालय ने यद्यपि पृथक से कोई विवेचन नहीं किया है किन्तु पत्रावली के गुणावगुण के विवेचन में यह तथ्य समाहित है केवल इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित गुणावगुण के निर्णय को विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थिया माली देवी की ओर से आदेश 09 नियम 13 का आवेदन धारा 5 के आवेदन व शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित करते समय धारा 5 के आवेदन के संदर्भ में कोई निर्णय पारित किये बिना विचाराधीन निर्णय से आदेश 09 नियम 13 का आवेदन स्वीकार किया है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व मियाद का प्रश्न पहले निर्णित किया जाना आवश्यक है। इसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021(1) पेज 130 में अभिनिर्धारित निर्णय से भी होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम आदेश 09 नियम 13 के आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 पर उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। तदुपरांत आदेश 09 नियम 13 के आवेदन के निस्तारण की कार्यवाही करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर